

गोपाल बनाम शंकरलाल कोठे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज गोपाल बनाम शंकरलाल वगै० प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 92/2008	नम्बर अहवाल हुक्म में:
21.05.2018	<p>पत्रावली प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 ता 6 के द्वारा हाजिर अदालत होकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर विद्वा किये जाने का निवेदन किये जाने पर पत्रावली आगामी पेशी से पूर्व तलब होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान- 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प- अजीतगढ़ के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 ता 6 ने उपस्थित होकर प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर आज ही विद्वा किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से विद्वा कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:-अजीतगढ़</p>	जा शंकर एडवोकेट नानुरा मधेश्वर ओपुश जा